न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 1154/2020
अनवान : –

1. विनोद पत्नी दलीप जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।
2. नारायणी पुत्री दलीप जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. अर्जुन पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।
2. खजानी पुत्री अर्जुन जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।
3. सन्तोष पुत्री अर्जन जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।
4. बाला पुत्री अर्जन जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।
5. पवन पुत्र दलीप जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।
6. नितु पुत्री दलीप जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
8. उप पंजीयक महोदय रामगढ़ तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादीगण**
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांक: 17/06/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर के खाता स0 7/7 की कुल 14.4150 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि यानि की 2.829 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। वाद भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण काबिज है। जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बा... राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री ...

वाद पेश होने पर दर्ज ... प्रतिवादीगण को ... सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी स0 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 17:38:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

आशय का पेश किया की रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर के खाता स0 7/7 की कुल 14.4150 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि में वादी स0 2 व प्रतिवादी स0 5 व 6 बहिब 1/5 हिस्सा भूमि के व प्रतिवादी स0 1 व 2 ता 4 बहिब 4/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। वाद भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण काबिज है।

प्रतिवादी स0 1 के अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया की उक्त वाद भूमि में वादीयान संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी स0 5 व 6 को संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा भूमि के व प्रतिवादी स0 1 ता 4 का 4/5 हिस्सा के खातेदार घोषित किया जाता है तो मुझे कोई ऐतराज नही है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर के खाता स0 7/7 की कुल 14.4150 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि यानि की 2.829 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण स0 1 द्वारा निवेदन किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो उसे कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 17:38:06 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर के खाता स0 7/7 की कुल

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

14.4150 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि में वादीयान संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी स0 5 व 6 को संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा भूमि के व प्रतिवादी स0 1 ता 4 को बहिब 4/5 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 17:38:06 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1154 / 2020

अनवान : –

1. विनोद पत्नी दलीप जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।
2. नारायणी पुत्री दलीप जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. अर्जुन पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।
2. खजानी पुत्री अर्जुन जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।
3. सन्तोष पुत्री अर्जन जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।
4. बाला पुत्री अर्जन जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।
5. पवन पुत्र दलीप जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।
6. नितु पुत्री दलीप जाति जाट निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
8. उप पंजीयक महोदय रामगढ़ तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 08 सन 2024 निर्णय दिनांक 17/06/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री रविन्द्र गोदारा एवं वकील प्रतिवादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर के खाता स0 7 / 7 की कुल 14.4150 हैक्ट भूमि में से 1 / 5 हिस्सा भूमि में वादीयान संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी स0 5 व 6 को संयुक्त रूप से 1 / 5 हिस्सा भूमि के व प्रतिवादी स0 1 ता 4 को बहिब 4 / 5 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/06/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 17:38:06 IST
Reason: SelfAttested